दिनांकः 16.12.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 21.08.2021 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 तथा धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि मुकदमा के प्रतिवादी सं0 10 और 11क ने विवादित भूमि के बहुमूल्य अंश के निश्वत निबंधित वोसिका बयनामा खड़ा कर दिए हैं जिस कारण संशोधन आवश्यक हो गया है । यह कि वाद पत्र के पैरा न0 8 के अंत में एक नया वाक्य मुंदर्ज किया जाए । अर्जी नालिस के पैरा न0 18 में एक नया वाक्य मुंदर्ज किया जाए इसी प्रकार पैरा न0 18 के प्रथम पंक्ति में मालियत मुकदमा हाजा मो0 10 लाख रुपये को कलमजद कर मो0 30लाख7हजार रुपया बना दिया जाए व दूसरी पंक्ति में हिस्सा वादी मो0 44445रु को कलमजद कर मो0 133644रु कर दिया जाए । यह कि अर्जी नालिस के दादरसी पैरा 19 के सब पैरा ख के बाद नया सब पैरा ''ख1'' को जोड़कर नया वाक्य मुंदर्ज कर दिया जाए। यह कि नालिस के मद न0 3 के बाद नया मद न0 04 जोड़कर नया वाक्य मुंदर्ज किया जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन को मंजूर करने की कृपा करे।

प्रतिवादी सं0 2 ता 8 ने अपने प्रतिउत्तर में वादी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वादी ने 20.05.19 को तथा दिनांक 05.12.20 को मरम्मती आवेदन दिया जिसे दिनांक 03.04.21 को संचालित न कर नॉट प्रेस कर दिया गया। यह कि वादी का मरम्मती आवेदन दिनांक 03.04.21 भी दिया गया और पुनः एक मरम्मती आवेदन 21.08.21 को दे दिया गया। यह कि वादी व प्रतिवादी सं0 9, 10, 11क स्वर्गीय भोला राय के वारिसान हैं जो एक मेल और साजिश में है। यह कि वादी ने प्रस्तावित मरम्मती न0 2 जिससे दोनों बयनामा को अवैध कराने हेतु कुल 5 सौ रुपया फीस अदा करना चाहती है वह सही नहीं है इस प्रकार वादी के आवेदन दिनांक 21.08.21 को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन और प्रतिवादी के प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा बयनामा दिनांक 14.12.2018 नविस्ते संतोष सिंह बनाम रंजीत सिंह दस्तावेज सं0 9045 की सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। समस्थ तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया आवेदन साक्ष्य के दौरान दिया गया है आवेदन के अवलोकन से न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में वादी बार बार संशोधन आवेदन देने का आदती सा हो गया है और चूंकि वाद 11 वर्ष से न्यायालय में विचारणीय है इसके बाद भी वादी के आवेदनों के क्रम और

संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वादी एक आदतन मुकदमेबाज व्यक्ति हैं परंतु चूंकि एक बयनामा वाद के लंबित रहने के दौरान किया गया प्रतीत होता है अतः 15000रु खर्च जो कि मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के नजारत में जमा किया जाएगा। इस निर्देश के साथ कि वादी मामले में अपना साक्ष्य अग्रिम 5 तिथियों में पूर्ण करें तथा उभय पक्ष एक साल के अंतर्गत मामले के निस्तारण में न्यायालय की मदद करे । वादी का आवेदन 15000रु खर्च के साथ वादी का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।